

क्र. एफ-17-20 / रा.स. / यू.ए.1 / 05 / 292

दिनांक-20 मार्च, 2023

प्रति,

कुलपति,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - विधि संकाय के संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (4) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा डॉ. दिव्या चंसोरिया, आचार्य, विधि विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को दो वर्ष की कालावधि के लिए विश्वविद्यालय के विधि संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार

सही/-
(स्वरोविष सोमवंशी)
राज्यपाल के उप सचिव
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)

पृ० क्रमांक / अका. / 2023 / ८२

जबलपुर दिनांक २१/३/२३

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

1. डॉ. दिव्या चंसोरिया, आचार्य, विधि विभाग, रानी दुर्गावती विविधि, जबलपुर।
2. राज्यपाल के उप सचिव, मध्यप्रदेश राज भवन भोपाल 462 052
3. समस्त संकायाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यगण।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/महाविद्यालीयन विकास परिषद, रानी दुर्गावती विविधि, जबलपुर।
7. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।

कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर